न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 102 / 2022

आरसीएमएस नं. 2022 / 102

1. नानकराम
2. लिलूराम } पुत्रगण गणपतराम जाति नाई साकिन ढाणी ब्राहमणवासी
3. रूधाराम } तहसील नोहर।
4. रोशनी पत्नी चरणी उर्फ शिवकुमार जाति नाई साकिन ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. भजनाराम पुत्र शंकर जाति नाई निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।

—असल रेस्पोडेण्ट

2. काशीराम पुत्र गणपतराम जाति नाई निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।
3. सन्तो
4. नमु देवी
5. सुन्दर देवी
6. शांति

पुत्रियां गणपतराम जाति नाई निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।

7. सतपाल पुत्र चरणी उर्फ शिवकुमार जाति नाई निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।
8. नानकौर पत्नी दुलाराम जाति नाई निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।
9. सावित्री पुत्री दुलाराम जाति नाई निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।
10. कलावती पत्नी सांवरा पुत्र दुलाराम जाति नाई निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।
11. रामसिंह पुत्र सांवरा पुत्र दुलाराम जाति नाई निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।
12. विनोद देवी पुत्री सांवरा पुत्र दुलाराम जाति नाई निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।
13. मनीराम पुत्र सांवरा पुत्र दुलाराम जाति नाई निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

14. धापा } पुत्रिया मंगलाराम जाति नाई निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।
15. उर्मिला }

16. लिखमाराम –फौत

16/1 रामप्यारी पत्नी लिखमाराम जाति नाई निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।
16/2 जगदीश }

16/3 महावीर पुत्रगण लिखमाराम जाति नाई निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।

16/4 हंसराज
16/5 कृष्ण
16/6 कलावती
16/7 गोमती } पुत्रीयान लिखमाराम जाति नाई निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।
16/8 संतोष

–तरतीबी रेस्पोडेण्ट

17. उप पंजियक कार्यालय नोहर। –रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नोहर, दिनांक 08.05.2017
प्रकरण संख्या 141/2015, अनवान भजनलाल बनाम नानकराम आदि

उपस्थितिः–

श्री विजय सिंह कड़वासरा, अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

निर्णय दिनांक 25.01.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आरटीएक्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में पेश किया। जिसमें कथन किया कि रोही मौजा चक देईदास पुरा तहसील नोहर खात संख्या 115/110के खसरा नंबर 274 की 9.1560 है0 भूमि के बेगा वल्द आदु खातेदार कातश्कार थे तथा बेगाराम के फौत होने के बाद बेगाराम के तीन लड़के गणपत, दुलाराम, के वारिसान लिखमाराम ने वाद भूमि अपने अकेलों के नाम कर्ता खान होने के कारण दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि में गणपत दुलाराम के अलावा दो बहिनें नाथी व हीरा का भी बहिस्सा बराबर था। प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार थी। उक्त भूमि सायल व दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण नं. 20 ता 26 व 27 ता 33 संयुक्त 1/5 हिस्सा के बहिस्सा बराबर के खतोदार कातश्कार थे तथा इसी प्रकार से दावा में तरतीबी प्रतिवादी संख्या 34 भी 1/5 हिस्सा की खातेदार काश्तकार थी इसलिए गैर सालान ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अनुचित तौर से व विधि विरूद्ध तरीके से बेगाराम वल्द आदु के वारिसान को छोड़ते हुए अपने नाम दर्ज करवा रखी है। उक्त गलत इन्दाज का अनुचित फायदा उठाकर गैरसवाल भूमि को अन्यत्र रहन बैय करने पर आमादा है यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी पक्रिया पर कोई गौर ना कर कतई मनमाना, स्वैच्छाचारी व नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है। पत्रावली तलबी हेतु जेरकार थी तथा दिनांक 08.05.2017 को कैम्प कोर्ट में कोई निर्णय मौका पर जाकर नही हुआ तथा उक्त पत्रावली को सुनवाई हेतु दिनांक 09.06.2017 को कैम्प कोट नोहर में रखी थी तथा गैरसायलान उतरदाता अपना जवाब प्रार्थना–पत्र पत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार व तत्पर था मगर मातहत अदालत ने साजिसाना रूप से रेस्पोडेण्ट सं0 1 को फायदा पहुंचाने की गरज से कानून को ताक में रखकर निर्णय पारित किया। अपीलाण्ट को सुनवाई, सबूत व जवाब का कोई मौका नहीं दिया गया तथा नियम विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गैरसायलान जो रिकार्डेड टिनेन्ट है को ताफैसला दावा पाबंद करने में भयंकर कानूनी भूल की है। लोक अदालत कैम्प कोट चक सरदार पुरा हेतु कोई नाटिस सूचना आदि नहीं दिये ना ही गैर सायलान के वकील ने हाजिर होकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नही हेा सका अतः अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर राजस्व लोक अदालत कैम्प सरदारपुरा में अपीलाधीन निर्णय सुनाया है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का फायदा उठाकर अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि को रहन बैय करना चाहता है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को हमेशा से ही ज्ञान रहा है। इसके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की है जो खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2019 आरआरडी पेज 372, 2016–17 आरआरटी पेज 721 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश किया था जो विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि लोक अदालत कैम्प कोर्ट चक सरदारपुरा दिनांक 08.05.2017 को सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया है ना ही उकसे अधिवक्ता ने हाजिर होकर अपनी उपस्थिति दी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट के उक्त तथ्यों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवोकन से होती है। पत्रावली के आदेशिका दिनांक 28.04.2017 के अनुसार पत्रावली में वास्ते शेष प्रतिवादीगण की तलबी एवं आगामी कार्यवाही हेतु आगामी पेशी 08.05.2017 नियत की गई थी। इस दिन की आदेशिका में पत्रावली लोक अदालत कैम्प सरदार पुरा में पत्रावली रखे जाने का कोई उल्लेख नहीं है। जबकि अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प चक सरदापुरा में पारित किया गया है। ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प चक सरदापुरा में रखने से पहले अपीलाण्ट को किसी प्रकार का नोटिस दिया गया हो अथवा उसे कोई सूचना दी गई हो। विचारण न्यायालय ने बिना किसी सूचना अथवा नोटिस के पत्रावली को कैम्प चक सरदापुरा में रख कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिससे अपीलाण्ट प्रकरण में अपना जवाब, साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई करने से महरूम हो गया है जबकि अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना जवाब साक्ष्य सुनवाई के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.1.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/1/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़